न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 400/11 अन्तर्गत धारा 86 Rt Act 1955

अनवान :–

प्रार्थीगण :– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार

बनाम

विप्रार्थीगण :– 1. खमीशाराम पुत्र चतुराम
2. फोटाराम पुत्र रिड़मलराम
जाति मेगवाल, निवासी मते का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

वकील प्रार्थीगण :– पैराकार सरकार

निर्णय

दिनांक 29.05.18

आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 86 रा.का.अ. 1955 प्रस्तुत किया कि गैर सायल द्वारा मौजा मते का तला में सरकारी गोचर भूमि के ख.सं. 50 में अनाधिकृत बिना अनुज्ञा के हरे वृक्षों की कटाई की गई। गैर सायल ने सरकारी भूमि में बिना वैध स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त किये शिकायतकर्ता के कथनानुसार चार खेजड़ी के वृक्ष कटवाये। पटवार हल्का देदूसर द्वारा दिनांक 22.07.2011 को उक्त काटी गयी लकड़ियों के दो बाटे मौके पर मौजूद पाये गये जिन्हे जब्त सरकार किया । जिसकी फर्द मौका सलंग्न है काटे गये वृक्षों की सुपुर्दगी पनेसिंह पुत्र जवाहरसिंह कौम राजपूत नि.मते का तला की अभिरक्षा में है। गैर सायल द्वारा हरे वृक्षों को काटकर बेचने का धन्धा करता है। उक्त जब्त सुदा लकड़िया कीमतन है। अतः निलामी हेतु शीघ्र आदेश फरमावे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही की जावे। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा फर्द मौका, सुपुर्दगी फर्द, नकल खतौनी मय नक्शा पेश किये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत 2018 कैम्प मते का तला में पेश हुई। सायल व गैर सायल ने

सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन

उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया । गैर सायल ने निवेदन किया कि मेरे पिताजी ने जो पेड़ काटे थे मैं उसकी पेलेन्टी भरने को तैयार हूँ। सायल तहसीलदार को सुना गया ।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, दस्तावेजों का अवलोकन अध्ययन किया तथा प्रार्थी की बहस पर मनन किया । प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत शिकायती प्रार्थना पत्र से स्पष्ट होता है कि पनेसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति राजपूत व मेराराम पुत्र पूनमाराम जाति सोनी निवासी मते का तला ने तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि गैर सायल द्वारा खेजड़ी के वृक्षों की कटाई की जा रही है। जिस पर पटवारी हल्का देदूसर द्वारा मौके पर जाकर शिकायत का सत्यापन किया तथा मौका फर्द तैयार की, मौके पर पूछताछ से स्पष्ट हुआ कि गैर सायलान द्वारा खेजड़ी के हरे वृक्षों को काटा गया । एक खेजड़ी का साबत थूड़ व अन्य खेजड़ी के दो बोटे मौके पर मौजूद पाये गये। जिसे पनेसिंह पुत्र जवाहरसिंह जाति राजपूत निवासी मते का तला को ग्रामीण मौतबरान के रूबरू सुपुर्द किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि बिना किसी अनुज्ञा पत्र के गैरसायलान द्वारा खेजड़ी के हरे वृक्षों की कटाई की गई है जो रा.का.अ. की धारा 83 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, धारा 86 के तहत शास्ती का दायी है, अतः आज्ञा है कि गैर सायलान द्वारा बिना अनुज्ञा के काटे गये खेजड़ी के 2 वृक्ष मानते हुए गैरसायलान पर 200 रूपये शास्ती आरोपित की जाती है तथा जब्त की गई लकड़ी को पुनः कब्जे में लेकर खुली नीलामी में बिक्री की जावे तथा प्राप्त रकम राजकोष में जमाकर अनुपालना रिपोर्ट पेश करे।

निर्णय की पालना अपील की अवधि 30 दिवस गुजरने के बाद तहसीलदार द्वारा की जाकर पालना रिपोर्ट से न्यायालय को अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 29.05.18 को लोक अदालत कोर्ट कैम्प 2018 मते का तला में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर
(SDO) चौहटन
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी चौहटन